



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122022-240767
CG-DL-E-03122022-240767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5393]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022/अग्रहायण 11, 1944

No. 5393]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2022/AGRAHAYANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5625(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (संयुक्त संगठन), बाँदा (NH76) के कि.मी. 202.4 से 203.48 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के (खैराडा रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचलन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH76 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (संयुक्त संगठन), बाँदा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH76 के कि.मी. 202.4 से 203.48 तक	उत्तर प्रदेश	बाँदा	बाँदा	1 खैराडा

[फा. सं. CE-RO/LKO/LA/NH-76/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5625(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction work of Khairada ROB, maintenance, management and operation of km. 202.4 to 203.48 of Special Land Acquisition Office (Joint Organization), Banda (NH76) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH76 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Office (Joint Organization),Banda	202.4 KM. To 203.48 KM.	UTTAR PRADESH	BANDA	Banda	1 Khairada

[F. No. CE-RO/LKO/LA/NH-76/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director